an>

Title: Need to remove section 81 (33) from Delhi Land Record Act, 1947.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदया, दिल्ली एनसीआर में 360 गांव हैं। इन 360 गांवों में अंग्रेजों के समय का काला कानून चल रहा है। अंग्रेज चले गए, लेकिन उसके बाद ... *

माननीय अध्यक्ष : आप यहां-वहां की बात क्यों बोलते हैं, अपनी बात बोलिए।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : महोदया, यह बात रिकॉर्ड में नहीं जानी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य के ये शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएंगे। आप थोड़ा ठीक तरह से बोलना सीखिए।

श्री रमेश बिधूड़ी : दिल्ली लैण्ड रिकार्ड एक्ट, 1947 की धारा 81 और धारा 33 के तहत गांव की ज़मीन...(व्यवधान) गांव की एग्रीकल्चर ज़मीन में जब वे कुछ बनाते हैं तो सेक्शन 81 के तहत उसको ग्राम सभा के तहत कर दिया जाता है। अगर वह सुविधा शुल्क अधिकारियों द्वारा ले लिया जाए तो उसको रिलीज कर दिया जाए। इसी प्रकार से सैक्शन 33 है, उसके अंदर एक व्यक्ति के पास अगर 8 एकड़ जमीन है और उसमें से अगर कोई छोटा टुकड़ा बेचना चाहता है तो या तो वह पूरी जमीन को बेचेगा वर्ना, बाकी जमीन वे ग्राम सभा को दे देते हैं। जिससे गरीब, किसान आदमी को बेटी की शादी करनी है या मकान बनाना है तो वह अपनी जमीन बेच नहीं पाता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि सैक्शन 81(33) हर पार्टी के मैनीफेस्टो में हमेशा आता है, इसलिए इसे दिल्ली से वेव-ऑफ किया जाए, जिससे दिल्ली के किसानों का शोषण न हो।